खण्ड-7, अंक-1, वर्ष-2019, मु0प्र0 68-72
D.O.I.: 10.22445/avsp.v7i1.13

तकनीकी आलेख व समीक्षा आलेख

भारत में समावेशी नीति-बहिष्कृत समुदायों के विशेष संदर्भ में

विजय कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
kvijay297@gmail.com

प्राप्त तिथि–01.03.2019, स्वीकृत तिथि–08.05.2019

सार– बहिष्करण और समावेशन सम्भवतः संसाधनों शक्ति, सामाजिक दूरी, सामाजिक पूँजी के संघर्ष के रूप में बाहर आया है। नागरिकता इस प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण संरचना है। सामाजिक बहिष्करण हिन्दू समाज के सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना से उपजा उत्पाद है। सामाजिक बहिष्करण की संकल्पना का उद्भव 1970 के दशक के अन्त में यूरोप में हुआ। सामाजिक बहिष्करण का प्रयोग गरीबी और असमानता के कई विमाओं की व्याख्या करने के लिए एक स्थानापन्न के रूप में प्रयोग किया गया। गरीबी और सामाजिक बहिष्करण एक–दूसरे के पूरक हैं। इसका प्रमुख आधार धर्म और पितृसत्ता है। दलित समाज के सामाजिक चिन्तकों तथा समाज सुधारकों ने सामाजिक बहिष्करण पर कार्य किया तथा बहिष्कृत समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आन्दोलन किया। स्वतन्त्रता के बाद से सरकारें समावेशी नीतियों को लागू करके समाज के वंचित समूहों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास निरन्तर कर रही हैं। सूचना और संचार तकनीकी भी शैक्षिक संस्थानों को वंचित समूहों तक पहुँचाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

बीज शब्दः बहिष्करण, समावेशन, पितृसत्ता, समावेशी नीति, सूचना और संचार तकनीकी

Inclusive Policy in India- In special reference to the excluded society

Vijay Kumar
Associate Professor, Department of Sociology
B.S.N.V. P.G. College, Lucknow-226001, UP, India
kvijay297@gmail.com

Abstract- Exclusion and inclusion are probable outcome of struggle over resources, power, social space and social capital. Citizenship are useful constructs to understand these processes. Social exclusion has been built into the socio-cultural structure of Hindu society. Social exclusion is a concept that emerged in the late 1970[s] in Europe and has been used as a substitute to explain many dimensions of inequalities and poverty[1]. Poverty and social exclusion are complimentary of each other. Main basis of social exclusion are religion and patriarchy. Social thinkers and reformers are doing work on the social exclusion and bring the excluded society to the main stream. After independence the elected government made efforts to include the deprived groups into main stream by inclusion policies. Information and communication technology (ICT) also allows the academic institutions to reach disadvantaged groups.

Key words- Exclusion, Inclusion, Patriarchy, Inclusion Policy, ICT

1. **प्रस्तावना**–बहिष्करण और समावेशन सम्भवतः संसाधनों, शक्ति, सामाजिक दूरी, सामाजिक पूँजी के संघर्ष के रूप में बाहर आया। नागरिकता इस प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण संरचना है। सामाजिक बहिष्करण की संकल्पना का उद्भव 1970 के दशक के अन्त में यूरोप में हुआ। सामाजिक बहिष्करण को शास्त्रीय पुस्तकों तथा शोध आधारित क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर देखा जा सकता है। सामाजिक बहिष्करण को जाति आधारित व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों में देख सकते हैं। शुद्धता तथा प्रदूषण और सामाजिक अलगाव जाति व्यवस्था का मुख्य तथ्य है। इस सामाजिक अलगाव के शिकार लोगों हेतु स्वतन्त्रता के बाद समावेशन की प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान में कई प्रकार के प्राविधान विभिन्न क्षेत्रों में किये गये हैं। इन प्राविधानों के कारण सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति/समूह समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहा है।[1]

2. **सामाजिक बहिष्करण–** सामाजिक बहिष्करण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्तियों या समुदायों को या तो संसाधनों (जैसे कि आय) या सामाजिक सम्पर्क को वृहत् समुदायों या समाजों से पृथक कर दिया जाता है। सामाजिक समस्यायें निम्नलिखित बिन्दुओं जैसे–बेरोजगारी, कम आय, खराब रहन–सहन, खराब स्वास्थ्य या सामाजिक अलगाव इत्यादि से आती है। इस संदर्भ में तीन बातें निकलकर आती हैं-[2]

1. सामाजिक बहिष्करण का सम्बन्ध सामाजिक अधिकारों और उसके अवरोधों से सम्बन्धित है, जो नागरिकों के 'नागरिक समाज और नागरिकता के आधुनिक विचारों' के द्वारा समझा जा सकता है,
2. यह वृहद् रूप से साहित्य के दुर्खीमी परम्परा के ढांचे के रूप में समाज से उद्घाटित होता है। यहाँ पर सामाजिक बहिष्करण एक वृहत् सामाजिक या नैतिक पृथक्करण के रूप में है,
3. यह शब्द विशेष रूप से बहु–सांस्कृतिक समाजों में "अतीव हाशियेकरण" की स्थिति के लिये व्यवहरित किया जाता है।

सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रभावी रूप से भागेदारी होने में अक्षम, समाज की मुख्यधारा से दूरी और अलगाव तथा मुख्य सामाजिक प्रक्रिया से अलगाव की स्थिति, जो संसाधनों के उत्पादन और विवरण में रहती है, से सम्बन्धित है। हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में जाति और अस्पृश्यता के आधार पर सामाजिक बहिष्करण को समझा जा सकता है। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों में बहिष्करण दिखाई देता है। दलितों का अस्वस्थ व्यवस्था के सहभागी होना उनके साथ अस्पृश्यता का मुख्य कारण बना। दलितों को मन्दिर में जाने का या सार्वजनिक कुँओं और तालाबों के प्रयोग का अधिकार नहीं था और उनके स्पर्श मात्र से ऊँची जातियों के लोग अपवित्र हो जाते थे। हिन्दू समाज के अंग होते हुए भी दलित इस समाज से बहिष्कृत जैसे थे।[3]

सामाजिक बहिष्करण को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं–

1. आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रभावी रूप से भागेदारी होने में अक्षम,
2. समाज की मुख्य धारा से दूरी और अलगाव,
3. मुख्य सामाजिक प्रक्रिया से अलगाव की स्थिति जो संसाधनों के उत्पादन और वितरण में रहती है।

सुखदेव थोराट ने सामाजिक बहिष्करण पर अपना निम्नलिखित मत प्रकट किया–

1. हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में लोगों का विभाजन विभिन्न सामाजिक समूहों (जातियों) में हुआ है।
2. जाति समूहों में अधिकारों का वितरण असमान ढंग से हुआ है।
3. धार्मिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की असमानता विद्यमान है।
4. प्रत्येक जाति का व्यवसाय जन्म से ही निश्चित हो जाता है और यह वंशानुगत चलता रहता है।
5. जाति समूहों में आर्थिक अधिकार का वितरण असमान ढंग से हुआ है, जैसे–सम्पत्ति का प्राधिकार, व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता का अभाव, रोजगार में, पारिश्रमिक देय में, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में।
6. व्यवसाय की श्रेष्ठता उच्चता और निम्नता सामाजिक स्टिगमा के आधार पर निर्धारित होती है।
7. असमानता का सिद्धान्त ही हिन्दुत्व के दर्शन का मुख्य केन्द्र बिन्दु है।[4]

धर्म और पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने भारतीय समाज की महिलाओं को समाज से कुछ क्षेत्रों से बहिष्कृत करने का कार्य किया है। धर्म और पितृसत्ता विभिन्न परम्पराओं, प्रथाओं के द्वारा संचालित होती है, जो महिलाओं के शोषण का काम करती हैं। दलितों का बसावट एक विशेष दिशा की तरफ होता था। उनका अस्वच्छकर व्यवसाय में लगे रहना अस्पृश्यता का मुख्य कारण था। समावेशन की प्रक्रिया को फ्रांसीसी क्रान्ति में देखा जा सकता है। फ्रांसीसी क्रान्ति की लड़ाई राजाओं के खिलाफ जनता के लिए समानता, स्वतन्त्रता और भाईचारा तीन सूत्र वाक्य पर लड़ी गयी, जो समावेशन के सशक्त हथियार बने। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने उसी फ्रांसीसी क्रान्ति से तीनों शब्द–स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारा लेकर संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा, जिसने सामाजिक बहिष्कृत समुदायों के लिये सशक्त समावेशन का कार्य किया। सामाजिक समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो असमानता, शोषण और पृथक्कता के विरूद्ध ऐसे विकल्प प्रस्तुत करती है, जिससे एक समताकारी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। अतः यह माना गया कि संसार के विभिन्न समाजों में प्रजातीय भेदभाव, संस्थागत विभेदों, निर्योग्यताओं के आधार पर विभेद, आर्थिक आधार पर विभेद, स्थानीय अलगाव तथा सांस्कृतिक–धार्मिक मान्यताओं के कारण जो समुदाय लम्बे समय से उपेक्षित और वंचितों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके आत्म–सम्मान की रक्षा करने, उनका कल्याण करने, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं उनके मनोबल को बढ़ाने के साथ उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करके ही समतामूलक आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है। सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया में जीवन का अवसर, समता और सहभागिता मुख्य तत्व है।[5] भारत नियोजित आर्थिक विकास के लिए और अपने जनता के आर्थिक दशा को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को अपनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे आर्थिक शक्ति की नींव को बढ़ाया जा सके।

उच्च विकास दर का मतलब यह नहीं है कि केवल इसका मापन विकास से किया जाय। हमारा मुख्य लक्ष्य समाज के हर समुदाय के जीवन स्तर में सुधार से है। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आर्थिक उन्नयन के साथ–साथ सामाजिक उन्नयन भी है। इससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का लाभ सभी समुदायों तक पहुँचे, विशेषकर समाज के कमजोर और गरीब लोगों तक।[6]
जाति–भेद के कारण सदियों से जाति के निचले स्तर पर स्थित जातियों का भयंकर शोषण होता रहा और वे अकारण द्वेष के लक्ष्य भी बने। इस अमानवीय स्थिति को बदलने के लिए ऐसी पीड़ित जातियों को चिन्हित किया गया और समाज में समावेशन हेतु वैधानिक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियाँ और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की श्रेणियाँ बनायीं गयीं। इन्हें आरक्षण एवं अन्य सहायता के द्वारा समयबद्ध ढंग से समर्थ बनाने और मुख्य धारा में लाने की कोशिश चलती रही।[7]

समावेशी नीति के अन्तर्गत 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे के साथ वर्तमान सरकार काम कर रही है। आर्थिक तौर पर हाशिए पर खड़े व्यक्ति के लिए रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 9 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय निर्माण कार्य किया गया। इसके बाद हर गांव और फिर हर घर तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। दस करोड़ परिवारों को आयुष्मान योजना के अन्तर्गत सालाना पाँच लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज, 12 करोड़ परिवारों के लिए किसान सम्मान निधि योजना भी देने का लक्ष्य है।[8] समावेशी नीति के अन्तर्गत भारत के हर नागरिक को, जिसका मत मूल्य समान है, मताधिकार का अधिकार देना सबसे बड़ी समावेशन की प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक समावेशन के सम्बन्ध में यह कथन कहा है, "एक समावेशी समाज का आधार सभी तरह के मानव अधिकारों और मौलिक आजादी का होना चाहिए, जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता, सामाजिक न्याय, कमजोर तथा अभावग्रस्त समूहों के लिए विशेष प्राविधान, लोकतान्त्रिक सहभागिता तथा कानून का राज।" समावेशी नीति के अन्तर्गत वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्य को करने का लक्ष्य रखा है–जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत 2024 तक सरकार ने प्रत्येक घर को पाइप के माध्यम से कनेक्शन देने का लक्ष्य (हर घर जल) रखा है। भारत सरकार ने जल सुरक्षा तथा सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी सभी भारतीयों तक पहुँचाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण भारत को लगभग 'खुले में शौच से मुक्त' कर चुका है परन्तु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का मुद्दा गांवों में बचा हुआ है।

वित्तमंत्री सीतारमन ने कहा कि, "5.6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है।"[9] समावेशी नीति में केन्द्र की योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन–आजीविका के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह में उनकी जीविका हेतु 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता को बढ़ाने का प्राविधान किया है। स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक महिला को जिसका बैंक में जन–धन खाता है उसको मुद्रा लोन योजना के अन्तर्गत एक लाख का लोन दिया जायेगा तथा सरकार का यह भी लक्ष्य है कि 2022 तक सभी परिवारों को अपना घर दिया जायेगा।[10] अब मनरेगा मजदूर, रिक्शा चालक, स्वच्छकार, शहरी बी0पी0एल0 और अन्त्योदय राशन कार्डधारक भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पायेंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध बी0पी0एल0 कार्डधारकों की संख्या एक करोड़ आठ लाख है। इस फैसले से 42.36 लाख लाभार्थी और बढ़ जायेंगे, जिससे राज्य के लाभार्थियों की कुल संख्या 150.36 लाख हो जायेगी।[11] सर्व शिक्षा अभियान/शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से देश में लागू है, देने का प्रयास सरकारों का है।

3. **गरीबी निवारण और रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रम–** समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने गरीबी निवारण और रोजगार पैदा करने वाले महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरूआत की है जैसे–

1. महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट गारन्टी स्कीम (मनरेगा),
2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,
3. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना,
4. सोशल प्रोटेक्शन कार्यक्रम
5. भारत निर्माण
6. रूरल सैनिटेशन–टोटल सैनिटेशन कैम्पेन
7. जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रीन्यूवेबल मिशन
8. राजीव आवास योजना
9. स्किल डेवलपमेंट

स्वतन्त्रता के बाद नियोजित विकास के शुरू होने के बाद तीन विभिन्न मॉडल अपनाये गये–अलगाव, सात्मीकरण और एकीकरण। समावेशन के लिए एकीकरण की नीति ने जनजातीय विकास के लिए दो प्रकार के रूप अपनाये–

(अ) संरक्षात्मक नीति (ब) उन्नति सम्बन्धी नीति

10. शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार,

11. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा योजनाएं
(अ) सर्व शिक्षा अभियान
(ब) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
(स) मिड डे मील योजना इत्यादि।

वर्तमान सरकार ने भी समावेशी नीति के अन्तर्गत बहुत सी केन्द्रीय योजनाएं प्रारम्भ की जैसे–जनधन योजना, स्किल इण्डिया मिशन, मेक इन इण्डिया, अटल पेंशन स्कीम, उज्ज्वला योजना, ग्रामोदय भारत उदय और सेतु भारत योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, पी0एम0 मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, डिजिटल इण्डिया मिशन, स्टार्ट अप इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया इत्यादि।

4. **समावेशी विकास हेतु किये गये संवैधानिक प्रावधान–** राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य धारा में लाने हेतु जनजातियों के लिए किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत अपने नागरिकों में धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 335 में यह कहा गया है कि यदि सार्वजनिक सेवाओं या सरकारी नौकरियों में जनजातीय लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, तो सरकार को उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार देना और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करना।
- अनुच्छेद 19 में संभाषण, अभिव्यक्ति, निवास एवं मुक्त विचरण करने की स्वतंत्रता है।
- अनुच्छेद 21, भारत के सभी नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने की गारण्टी प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 23 मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में यह कहता है कि काम का अधिकार, मुनष्य का आधारभूत अधिकार है।
- अनुच्छेद 29 (2) में यह कहा गया है कि सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी धन से संचालित शिक्षालयों में धर्म, प्रजाति, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश में कोई बाधा न रखी जाए।
- अनुच्छेद 41 राज्यों को यह निर्देशित करता है तथा अपने सभी नागरिकों को काम का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा कमजोर वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने एवं सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध इन्हें संरक्षण देने का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 164, 338 तथा पांचवीं अनुसूची में जनजातियों के कल्याण तथा हितों के प्रयोजन से राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों तथा पृथक विभागों की स्थापना करने और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 164 में असम के अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय मंत्रालय स्थापित करने का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 275 (1) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने एवं इनके लिए प्रशासन की उचित व्यवस्था करने के लिए विशेष धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद 330, 332 एवं 334 में लोक सभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व हेतु सीटें सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 325 में, यह प्रावधान है कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या उनमें से किसी आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।

5. **समावेशी विकास हेतु चुनौतियाँ–** भारत को महाशक्ति की स्थिति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम गरीबी और भेदभाव को मुक्त करना होगा। इसके लिए मुख्य आवश्यकता यह है कि अपने तकनीकी में सुधार तथा श्रम–उत्पादकता बढ़ायी जाय। यदि समाज के विभिन्न खण्डों में बड़ी मात्रा में आर्थिक और सामाजिक खाई होगी तो इस मिशन को नहीं पाया जा सकता है तथा एक समावेशी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। उत्तर–उदारवादी समयों में यह अन्तर अधिक बढ़ा है। दुनिया की आधी आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। नगरीकरण लगातार तेजी से एक प्रक्रिया में चल रहा है। अल्पविकसित देश, जिसमें भारत भी शामिल है, उसके आवासीय स्थल की दशा बहुत खराब है। संपोषणीय विकास हेतु यह स्थिति बहुत खराब है। वहनीय कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का आवास पाना एक चुनौती है। बड़ी संख्या में गरीब लोग नगरों के किनारे निवास करते हैं जो रोजाना अपने निवास स्थल से नगरों में काम करने के लिए आते–जाते हैं। उनके लिए अच्छी और गुणवत्तायुक्त यातायात व्यवस्था नहीं है। यह सरकार के लिए वास्तविक चुनौती है।[12]

6. **निष्कर्ष–** सदियों से भारतीय समाज का कुछ वर्ग प्रताड़ित, शोषित और बहिष्कृत रहा है। बहिष्करण के परिणामस्वरूप समाज में ऐसे समूहों की स्थिति दयनीय हो गयी। स्वतन्त्रता के बाद इन शोषित, दलित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए समावेषी नीति अपनायी गयी। संविधान निर्माताओं ने ऐसे वंचित समूहों के लिए संविधान में बहुत सारे प्राविधान किये। भारत के सभी नागरिकों को बराबर

का मताधिकार दिया। अलग–थलग पड़े जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षणात्मक भेदभाव के आधार पर विशेष सुरक्षा प्रदान की गयी, जिसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे वंचित समूह भी समाज की मुख्यधारा से अपने को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं।

संदर्भ

1. यूज, टीना एवं पटेल, सुजाता(सं0)(2012) एक्सक्लूजन, सोशल कैपिटल एण्ड सिटिजनशिप, ओरयेन्ट ब्लैक्सवान प्रा0 लिमिटेड, हैदराबाद, पृ0 29।
2. स्कॉट, जान(सम्पा0)(2014) ए डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, फोर्थ इडिशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यू0के0, पृ0 229।
3. देसाई, ए0 आर0(2004) भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली, पृ0 209।
4. थोराट, सुखदेव(2004) हिन्दू सोशल सिस्टम एण्ड हयूमन राइट्स ऑफ दलित्स, क्रिटिकल क्वेट्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 7–8।
5. यादव, रामगणेश(मुख्य संपादक)(2014) भारतीय समाज, ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, पृ0 253।
6. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना(2007–2012) वाल्यूम 1, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2008 पृष्ठ भूमिका–3।
7. दैनिक जागरण, शीर्षक 'जाति आखिर जाती क्यों नहीं', 29 अप्रैल 2019, पृ0 10।
8. दैनिक जागरण, लखनऊ संस्करण, 2 मई 2019, पृ0 10।
9. द इण्डियन एक्सप्रेस, लखनऊ, 6 जुलाई 2019, पृ0 14।
10. द इण्डियन एक्सप्रेस, लखनऊ, 6 जुलाई 2019, पृ0 14।
11. दैनिक जागरण, लखनऊ संस्करण, 27 फरवरी 2014, पृ0 11।
12. सिंह, सीमा(2013) यूनीवर्सिटी न्यूज, नई दिल्ली, संस्करण–जनवरी, 21–27, पृ0 02।